UPBJ180044792023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–1, नगीना, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती अन्नू(उ0प्र0 न्यायिक सेवा)–यू.पी.03529।
परिवाद सं0– 2652/2023
विमला बनाम कृपाल आदि।
थाना– कोतवाली देहात, जिला बिजनौर।

16–07–2024

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना जा चुका है।

परिवाद–पत्र के अनुसार परिवादिनी का संक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी के ग्राम का कृपाल पुत्र तुलसी का धेवता रजनीश पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मधुपुरा, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर प्रार्थिनी की पुत्री साक्षी को बहका फुसलाकर भगा ले गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थिनी ने थाना कोतवाली देहात में दर्ज करायी। पुलिस ने उक्त कृपाल के घ ार पर कई बार दबिश दी और अन्ततः प्रार्थिनी की पुत्री साक्षी सकुशल बरामद हो गयी और प्रार्थिनी की कस्टडी में आ गयी। उक्त रजनीश व उसके घरवालों से भी हमारा फैसला हो गया, परंतु उक्त कृपाल व उसका पुत्र नरेन्द्र व नरेन्द्र की पत्नी डोली निवासीगण ग्राम अलीपुर दामोदर तभी से हमसे सख्त रंजिश रखने लगे। दिनांक 31–08–2023 समय लगभग 8 बजे शाम की घटना है कि उक्त कृपाल, नरेन्द्र व डौली तीनों एक राय होकर गंदी–गंदी गालियां बकते हुए प्रार्थिनी के घर में घुस आये और बोले कि आज हमारे घर पर पुलिस भेजने का मजा चखाते हैं। कहकर तीनों ने प्रार्थिनी को नरेन्द्र ने चाकू से कृपाल व डोली ने लात–घ ूसों से मारना पीटना शुरू कर दिया। उक्त नरेन्द्र ने प्रार्थिनी को गलत जगह से पकड़ा और ब्लाउज फाड़ दिया, जिससे प्रार्थिनी का शरीर अर्द्धनग्न हो गया। प्रार्थिनी के पति ब्रहमपाल व पुत्री साक्षी व रेखा पत्नी विजयपाल आदि ने घटना देखी व इन लोगों को समझा बुझाकर प्रार्थिनी के घर में से बाहर निकाला जाते समय ये लोग धमकी देकर गये कि अगर कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। घटना की रिपोर्ट थाने पर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थिनी ने अपना मेडिकल कराया और पुनः रिपोर्ट का प्रयास किया, परंतु पुलिस प्रार्थिनी की कोई सहायता नहीं की। मजबूर होकर प्रार्थिनी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर को अपनी रिपोर्ट बजरिए रजिस्टरी डाक भेजी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थिनी द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया।

पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

प्रार्थिनी/परिवादिनी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में धारा 200 दं0प्र0सं0 में स्वयं को एवं धारा 202 में पी0डब्लू01 रेखा रानी पत्नी विजयपाल सिंह, पी0डब्लू02 साक्षी पुत्री ब्रह्मपाल सिंह व पी0डब्लू03 ब्रह्मपाल सिंह को परीक्षित कराया तथा अभिलेखीय साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र एवं पुलिस अधीक्षक बिजनौर को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद एवं चिकित्सीय प्रपत्र, छायाप्रति एफ.आई.आर. दिनांकित 31–03–2023 व फैसलानामा दिनांकित 02–08–2023 दाखिल किये गये हैं।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया गया कि–''दिनांक 29–08–2023 को रात के 08:00 बजे मैं अपनी लड़की साक्षी के साथ खाना बना रही थी। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं, पर घड़ी देखना जानती हूं। मैं आंगन में खाना बना रही थी। आंगन से पहले दो कमरे पड़ते हैं। ब्रह्मपाल छत पर बैठा था। कृपाल, डोली, नरेन्द्र मुझे गाली देते हुए आ रहे थे। मैंने सुना। बहुत तेज–तेज गाली दे रहे थे। मैं बरामदे में खाना बना रही थी। गाली सुनकर ब्रह्मपाल ने मुझे और इन्हें दोनों पक्षों को चुप कराया। गाली सुनकर भी मैं खाना बनाती रही। साक्षी भी गाली सुनते हुए खाना बना रही थी। फिर डोली ने मुझे थप्पड़ मारा। साक्षी ने मुझे बचाने का प्रयास किया। साक्षी और ब्रह्मपाल ने मिलकर डोली को हटाया। इनके मारने पर मैं चिल्लाई। मैं धीरे से ही चिल्लाई, क्योंकि धीरे से ही मार रहे थे। मेरे चिल्लाने पर कोई आया नहीं। रेखा सामने से जा रही थी। रेखा ने आकर कृपाल को हटाया। नरेन्द्र मुझे मारने लगा। नरेन्द्र मुझे चाकू से मारने लगा। नरेन्द्र ने मेरे हाथ पर चाकू मारा। घर में अंधेरा था, लाईट नहीं थी। अंधेरे के कारण मैं ठीक से नहीं देख पायी। नरेन्द्र ने पीछे से मारा। मैंने नहीं देखा था नरेन्द्र को आते हुए। मैंने हाथ पर चोट लगने के बाद चाकू देखा। ब्रह्मपाल और साक्षी मेरे बगल में थे। ब्रह्मपाल और साक्षी ने फिर इन लोगों को धक्के मारकर निकाल दिया। इतनी पूरी घटना पर गांव का कोई नहीं आया। मैं बहुत–बहुत जोर–जोर से चिल्लायी थी पर कोई नहीं आया था। मेरे गांव में डॉक्टर रहते हैं। मेरे गांव में सोनू डाक्टर है। छोटी मोटी बीमारी पर इन्हें ही दिखाते हैं। इनको निकालने के बाद ब्रह्मपाल वापस आए। ब्रह्मपाल वापस आकर मुझसे बोले मैं बाहर रहता हूं। तू इनसे झगड़ा मत किया कर। नरेन्द्र के चाकू मारने पर मैं बेहोश हो गयी थी। मुझे होश डॉक्टर के यहां आया था। चाकू लगते वक्त साक्षी मुझे देख रही थी। छुड़ा रही थी। साक्षी चोट लगने पर चुन्नी लेने चली गयी थी। साक्षी चुन्नी लेकर मेरे ऊपर डालकर हाथ में बांध दी। मुझे होश नहीं आ रहा था। नरेन्द्र ने चाकू मारने के पहले मेरे कपड़े फाड़ दिये थे। मेरे आदमी को गुस्सा आया पर उन्होंने पी लिया। मेरे आदमी ने उन लोगों को मारापीटा नहीं।'' घटना के सम्बन्ध में दाखिल चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भी घटना की पुष्टि होती है।

इस प्रकार परिवादिनी द्वारा अपने बयान में विपक्षीगण द्वारा उसके घर में घुसकर, उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने एवं उसके, उसके पति एवं उसकी बेटी के साथ लात–घूसों व धारदार हथियार चाकू से मारपीट करने एवं गाली–गलौज किये जाने का कथन किया है। परिवादी द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा भी घटना का समर्थन किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर विपक्षीगण कृपाल, नरेन्द्र व डोली के द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 452,323,324,354,504 भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। अतः विपक्षीगण उपरोक्त को धारा 452,323,324,354,504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण **कृपाल, नरेन्द्र व डोली** को धारा 452,323,324,354,504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। परिवादिनी, अभियुक्तगण पर तामीला हेतु आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे। पैरवी उपरान्त विपक्षीगण को हाजिरी हेतु सम्मन जारी हों। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 07–08–2024 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1, नगीना, बिजनौर।

Digitally signed by ANNU
Date: 2024.07.17 16:00:30 IST
Reason: Order
Location: Judicial Magistrate, Court no-1, Nagina, Bijnor.